169

प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

संख्या– /XVI(1)/13/7(15)/13

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1 देहरादूनः दिनांक 13 नवम्बर, 2013

विषयः–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की नई योजना उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड में प्रथम अनुपूरक के द्वारा स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक उद्यान के पत्र संख्या–516 / 1–1(55) / 2013–14, दिनांक–26 सितम्बर, 2013 एवं वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–668/XXVII(1)/2013, दिनांक–08 अक्टूबर, 2013 एवं शासनादेश संख्या– 284/XXVII(1)/2013,दिनांक–30 मार्च, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से सम्बन्धित नई योजना हेतु अनुदान संख्या 29 (राज्य सैक्टर) औद्यानिक विकास 2401 फसल कृषि कर्म 00 आयोजनागत 119 बागवानी और सबिजयों की फसलें 03 औद्यानिक विकास 19 उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड 42 अन्य व्यय हेतु अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत प्रथम अनुपूरक मॉग में प्राविधानित बजट की धनराशि **रू0–5000 हजार (रू0 पचास लाख मात्र)** व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, अनुमोदित परिव्यय की सीमा से अधिक कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013,दिनांक–30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश संख्या–668/XXVII(1)/2013, दिनांक–08 अक्टूबर, 2013 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर निदेशक,उद्यान के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(5) जिला एवं मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यो का नियमित अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं स्थलीय सत्यापन के लिए टास्क फोर्स गठित करना सुनिश्चित किया जाय एवं टास्क फोर्स द्वारा दी जाने वाली आख्या को प्रत्येक तिमाही में शासन को प्रेषित किया जाय।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

क्रमशः—2

170

(8) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–8 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेंगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप की जायेगी तथा योजनान्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रम की कार्ययोजना भी तैयार की जाय,जिससे कार्यक्रम कियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

(10) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुपूरक मॉग में विभागीय 29 (राज्य सैक्टर) औद्यानिक विकास 2401 फसल कृषि कर्म 00 आयोजनागत 119 बागवानी और सबिजयों की फसलें 03 औद्यानिक विकास 19 उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड 42 अन्य व्यय, के नामे डाला जायेगा।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–60 NP/XXVII-4-2013,दिनांक–26 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोपरि,

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2154/XVI(1)/13/7(30)/13 तददिनांक,

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्यानिक विपणन बोर्ड, देहरादून।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
9– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव।